25/11/25

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2017/00001

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 20/2017 Gcms:-2017/00001 **दायर दिनांक : 08.02.2017**

नरेश कुमार पुत्र किशनलाल पुत्र बचनाराम जाति अग्रवाल निवासी शिवनाथपुरा जरिये मुख्तयारआम ओमप्रकाश पुत्र हुक्मचन्द जाति अरोड़ा निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ —वादी

बनाम

1. बिमला देवी पत्नी स्व. किशनलाल जाति अग्रवाल निवासी शिवनाथपुरा तहसील सूरतगढ़
2. अमितबाला पुत्री स्व. किशनलाल जाति अग्रवाल निवासी शिवनाथपुरा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक वादी
2. श्री धर्मपाल सिहाग, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 व 2
3. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : १८.11.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पक्षकारान के अभिभाषकगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने मार्फत मुख्तयारआम एक वाद इस न्यायालय में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि रोही श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 94, नये मिन 94/3 में 25.00 बीघा भूमि सम्वत् 2026 से 5 वर्ष हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के पिता/पति किशनलाल को आरजी काश्त पर आवंटित की गई थी [illegible] राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी सम्वत् 2026 में अमलदरामद हो गया। [illegible] कॉलोनी क्षेत्र में होने से वादी के पिता के नाम से इन्तकाल सं. 1 स्वीकृत दिनांक 04.08.1971 के द्वारा गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हो गया, [illegible] पर आजीवन आवंटिती व उसके बाद वारिसों का कब्जा काश्त रहा। सेटलमेंट विभाग द्वारा मिन खसरा बनाते

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 16:43:06 IST
Reason: SelfAttested

समय उक्त खसरा नं. 94 से मिन नं. 94/3 में 25.00 बीघा रकबा पैमूद हुआ, वर्तमान रिकॉर्ड में यह रकबा खसरा नं. 201/94 में 25.00 बीघा पैमूद किया गया, किन्तु बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के आवंटित आरजी भूमि रकबा राज दर्ज कर दी गई। जैरवाद रकबा में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने अपना हक वादी के पक्ष में मौखिक रूप से छोड़ रखा है। इस प्रकार जैरवाद रकबा पर वादी बतौर आरजी काश्तकार काबिज चला आ रहा है। आवंटन नियम, 1970 के नियम 18 के अनुसार 'वादी इस रकबा का खातेदार कृषक हो गया है, जिसकी घोषणा करवाने का वादी हकदार है। वादी को बिना किसी सूचना के व वादी के पीठ पीछे उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में आराजीराज दर्ज कर दिया है और अब प्रतिवादी सं. 3 उक्त रकबा को किसी अन्य को आवंटन कर रहा है, इसलिए वादी प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है। वादी के पिता को रोही श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ के पूर्व खसरा नं. 94, नया मिन 94/3 में 25.00 बीघा भूमि सम्वत् 2026 से 5 साला आवंटन है, जो बाद में इस खसरा से नये बने खसरा नं. 201/94 में 25.00 बीघा भूमि पैमूद हुई एवं वादी के पिता के स्वर्गवास उपरान्त उक्त रकबा आज तक वादी के ही कब्जा काश्त में चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 इस रकबा में अपना हक नहीं लेना चाहती, उन्होंने अपना हक वादी के पक्ष में छोड़ रखा है व वादी ने आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। वादी आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् आवंटन नियम, 1970 के नियम 18 के अनुसार खातेदार हो गया था, इसलिए वादी ने रोही श्योनाथपुरा के खसरा नं. 201/94 में 6.325 है0 रकबा का वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने व चालू जमाबन्दी में रकबा आराजीराज दर्ज से कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने एवं वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा बन्द किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के विरुद्ध दिनांक 11.10.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

के आदेश दिये गये। स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब स्टेट बन्द किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री धर्मपाल सिहाग ने वकालतनामा मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया, जिसका अभिभाषक वादी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने पर, जवाब बन्द कर, न्याय हित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. स्वीकार जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, किन्तु प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने जवाबदावा बन्द किया जाकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गयी :–

(1) आया वादी रोही श्योनाथपुरा के खसरा नं. 94 नया खसरा नं. 94/3 में 25.00 बीघा रकबा वादी के पिता किशनलाल को 5 साला आवंटन होकर गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड था ? (वादी)

(2) आया वादी सेटलमेंट के दौरान प्रथम जमाबन्दी बनाते समय रोही श्योनाथपुरा का खसरा नं. 94/3 का वादी के पिता का रकबा बिना किसी अधिकारी के आदेश आराजीराज कर दिया है ? (वादी)

(3) आया वादी अपने पिता के नाम के रोही श्योनाथपुरा का खसरा नं. 94/3 के 6.325 है0 बारानी रकबा को जायज वारिस होने से वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 2 अपने नाम ब.हि.बराबर का हकदार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम गैर खातेदार दर्ज का हकदार है ? (वादी)

(4) आया वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने आवंटन नियम, 1970 के नियम 18 की पालना में अपने नाम उक्त रकबा खातेदारी दर्ज करवाने के हकदार हैं ? (वादी)

(5) अन्य अनुतोष।

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

बाद आने साक्ष्य तर्क अभिभाषकगण सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दस्तावेज

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested

गिरदावरी से रोही श्योनाथपुरा के खसरा नं. 94/3 में 25.00 बीघा रकबा का आवंटन किशनलाल पुत्र बचनाराम को पूर्णतया साबित है। शेष कथन शपथ–पत्र के आधार पर सिद्ध होते हैं। अतः वाद वांदी स्वीकार कर डिक्री करने की प्रार्थना की। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने भी वाद वादी स्वीकार करने में आपत्ति नहीं की। पैरोकार राज ने वाद का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में आरजीराज बताई गई है। लगातार काश्त साबित नहीं है। खसरा नं. 94/3 का वर्तमान चाहा गया खसरा नं. 201/94 बना है, मिलान क्षेत्रफल से सिद्ध नहीं किया, इसलिए वाद सिद्ध ना होने से वाद निरस्त करने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गौरपूर्वक पठन व मनन करने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :–

तनकी नं. (1) – आया वादी रोही श्योनाथपुरा के खसरा नं. 94 नया खसरा नं. 94/3 में 25.00 बीघा रकबा वादी के पिता किशनलाल को 5 साला आवंटन होकर गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड था ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी द्वारा गिरदावरी सम्वत् 2026 ता 29 प्रस्तुत की है। इसके साथ आवंटन पट्टा अथवा जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत नहीं की। गिरदावरी साक्ष्य नहीं है व ना ही इस खसरा से नये खसरा क्या बने, मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं है, इसलिए यह तनकी सन्देह से परे साबित करने में वादी असफल रहा है। तनकी नं. 1 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (2) – आया वादी सेटलमेंट के दौरान प्रथम जमाबन्दी बनाते समय रोही श्योनाथपुरा का खसरा नं. 94/3 का वादी के पिता का रकबा बिना किसी अधिकारी के आदेश आराजीराज कर दिया है ? (वादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 16:43:06 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने शपथ–पत्र के अलावा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया व ना ही सम्वत् 2029 के बाद की गिरदावरी प्रस्तुत है। रकमराज जमा कराने का साक्ष्य प्रस्तुत

क्रमशः ..... पेज 5 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नहीं है, इसलिए आरजीकाश्त की निरन्तरता बनना सिद्ध नहीं है। तनकी नं. 2 सिद्ध नहीं होने से विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (3) – आया वादी अपने पिता के नाम के रोही श्योनाथपुरा का खसरा नं. 94/3 के 6.325 है0 बारानी रकबा को जायज वारिस होने से वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 2 अपने नाम ब.हि.बराबर का हकदार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम गैर खातेदार दर्ज का हकदार है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था, जो तनकी नं. 1 व 2 पर आधारित है। पिता को आरजी आवंटन का पट्टा प्रस्तुत नहीं है। तनकी नं. 1 व 2 विरुद्ध वादी निर्णय की गई है। आवंटन सन्देह से परे सिद्ध नहीं, इसलिए तनकी नं. 3 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (4) – आया वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने आवंटन नियम, 1970 के नियम 18 की पालना में अपने नाम उक्त रकबा खातेदारी दर्ज करवाने के हकदार हैं ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। मात्र शपथ–पत्र के किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। आरजीकाश्त आवंटन अथवा निरन्तरता बनी रहना, सिद्ध नहीं है एवं ना ही कब्जा काश्त साबित है। अतः तनकी नं. 4 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार वाद वादी सन्देह से परे साबित नहीं है, इसलिए वाद वादी निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 28.11.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.**

अनवान :–

नरेश कुमार पुत्र किशनलाल पुत्र बचनाराम जाति अग्रवाल निवासी शिवनाथपुरा जरिये मुख्तयारआम ओमप्रकाश पुत्र हुक्मचन्द जाति अरोड़ा निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ –वादी

बनाम

1. **बिमला देवी पत्नी स्व. किशनलाल जाति अग्रवाल निवासी शिवनाथपुरा तहसील सूरतगढ़**
2. **अमितबाला पुत्री स्व. किशनलाल जाति अग्रवाल निवासी शिवनाथपुरा**
3. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 20 वर्ष 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री शिशपाल शर्मा व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1–2 श्री धर्मपाल सिहाग एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी सन्देह से परे साबित नहीं है, इसलिए वाद वादी निरस्त किया जाता है।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **25.11.2025** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:06 IST
Reason: SelfAttested